

3/यो0संक०-19/2022
बिहार सरकार
समाज कल्याण विभाग

96

पत्र संख्या-

स्वीकृत्यादेश
(संख्या /2025-26)

प्रेषक,

योगेश कुमार सागर भा०प्र०से०,
संयुक्त सचिव,

सेवा में,

महालेखाकार,
बिहार, पटना।

पटना, दिनांक -.....7.8.2025

विषय:-

मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना अन्तर्गत वितीय वर्ष 2025-26 में राज्य के सभी आय वर्ग के 60 वर्ष या उससे अधिक आयु वर्ग के वृद्धजनों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन प्रदान करने हेतु राज्य स्कीम मद में कुल रू० 342391.00 लाख (तीन हजार चार सौ तेईस करोड एकानवे लाख) मात्र के अतिरिक्त व्यय की स्वीकृति।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि बिहार सरकार द्वारा राज्य में वृद्धजनों के सम्मानपूर्वक जीवन यापन हेतु मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना अधिसूचित की गई है, जिसमें राज्य के सभी आय वर्ग के वृद्धजन, जिनकी आयु 60 वर्ष या उससे अधिक हो और जिन्हें केन्द्र/राज्य सरकार से कोई वेतन, पेंशन, पारिवारिक पेंशन या सामाजिक सुरक्षा पेंशन प्राप्त न हो रहा हो, उन्हें 60-70 वर्ष आयु वर्ग के लिए रू० 400/- एवं 80 वर्ष या उससे अधिक आयु वर्ग के लिए रू० 500/- प्रतिमाह के स्थान पर विभागीय संकल्प सं०-1527 दिनांक- 25.06.2025 के द्वारा रू० 1100/- प्रतिमाह का मासिक पेंशन भुगतान माह जून 2025 से किया जा रहा है। वितीय वर्ष 2025-26 में मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना अन्तर्गत राज्य योजना मद के विभिन्न घटकों में कुल रू० 116193.00 लाख (ग्यारह सौ एकसठ करोड तिरानवे लाख) मात्र के व्यय की स्वीकृति विभागीय स्वीकृत्यादेश सं०- 72 दिनांक- 24.04.2025 के द्वारा प्रदान की गयी है। अतिरिक्त राशि की आवश्यकता के आलोक में प्रथम अनुपूर्व से प्राप्त राज्य स्कीम (सामान्य) मद में रू० 299758.00 लाख राज्य स्कीम (विशेष घटक) मद में रू० 37216.00 लाख एवं राज्य स्कीम (जनजातीय) मद में रू० 5417.00 लाख अर्थात् कुल- 342391.00 लाख (तीन हजार चार सौ तेईस करोड एकानवे लाख) मात्र के अतिरिक्त व्यय की स्वीकृति निम्न प्रकार दी जाती है-

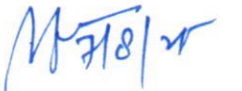
(राशि रू. लाख में)

क्र०	योजना का नाम	विपत्र कोड	विषय शीर्ष	पूर्व में स्वीकृत राशि	अतिरिक्त स्वीकृत राशि
1	2	3	4	5	6
1	मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना - सामान्य घटक	(51-2235021040109)	0109.13.01,31.06	82783.00	299758.00
2	मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना - विशेष घटक	(51-2235027890114)	0114.31.06	27854.00	37216.00
3	मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना - जनजातीय क्षेत्र उप योजना	(51-2235027960125)	0125.31.06	5556.00	5417.00
कुल (रू० तीन हजार चार सौ तेईस करोड एकानवे लाख)				116193.00	342391.00

2 स्वीकृत राशि की निकासी एवं व्ययन हेतु सामाजिक सुरक्षा निदेशालय (मुख्यालय) स्तर पर निदेशक, सामाजिक सुरक्षा, जिला स्तर पर सभी सहायक निदेशक/प्रभारी सहायक निदेशक, जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी घोषित हैं।

3. उक्त स्वीकृत राशि के विरुद्ध सामाजिक सुरक्षा निदेशालय द्वारा निर्गत आवंटनादेश के आधार पर ही राशि की निकासी एवं व्ययन किया जायेगा। इस कार्यक्रम के कार्यान्वयन हेतु बिहार वित्तीय नियमों का पालन करने की जिम्मेवारी संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।
4. राशि की निकासी एवं व्ययन वित्त विभाग के पत्रांक -12888/वि० दिनांक-03.12.2024, 227/वि० दिनांक 28.03.2025, 235/वि० दिनांक 01.04.2025 पत्रांक- 600/वि. दिनांक- 06.08.2025 एवं समय-समय पर निर्गत अन्य अनुदेशों/परिपत्रों के अनुसार किया जायेगा।
5. स्वीकृत्यादेश पर संचिका संख्या-3/यो०स०क०-19/2022 के टिप्पणी पृष्ठ संख्या-31/टि० पर दिनांक- 06.08.2025 को आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।
6. यह स्वीकृत्यादेश संचिका संख्या-3/यो०स०क०-19/2022 के टिप्पणी पृष्ठ संख्या-32/टि० पर दिनांक- 06.08.2025 को सचिव, समाज कल्याण विभाग के अनुमोदनोपरान्त निर्गत की जा रही है।
7. यह चालू योजना है। अतः महालेखाकार, बिहार से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

विश्वासभाजन


 (योगेश कुमार सागर)

संयुक्त सचिव,

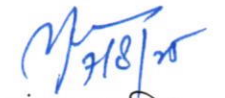
समाज कल्याण विभाग।

जापांक- 3/यो०स०क०-19/2022

96

/...../दिनांक- 7.8.2025

प्रतिलिपि -महालेखाकार (लेखा परीक्षा) बिहार, पटना/प्रधान सचिव, योजना एवं विकास विभाग/संयुक्त सचिव, वित्त विभाग (बजट शाखा)/विशेष कार्य पदाधिकारी, समाज कल्याण विभाग (बजट शाखा)/निदेशक, सामाजिक सुरक्षा निदेशालय/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, सामाजिक सुरक्षा निदेशालय/मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी/वरीय प्रशासी पदाधिकारी, सक्षम, अपना घर, बेली रोड, पटना/सभी सहायक निदेशक, जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।



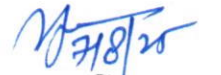
संयुक्त सचिव,

जापांक- 3/यो०स०क०-19/2022

96

/...../दिनांक- 7.8.2025

प्रतिलिपि -कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना/सभी जिला कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।



संयुक्त सचिव,

जापांक- 3/यो०स०क०-19/2022

96

/...../दिनांक- 7.8.2025

प्रतिलिपि -विभागीय आई०टी० मैनेजर, को सूचनार्थ एवं स्वीकृत्यादेश की प्रति विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।



संयुक्त सचिव,